तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	पत्रावली प्रार्थी आदेशित। संशोधित प्रार्थना पत्र पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र पर बहस प्रार्थी सुनी गई। प्रार्थी ने बयान किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1733 वाके ग्राम गंडायच्च पटवार क्षेत्र बिलौंधिया भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र मढ़ासा तहसील बसेड़ी जिला धौलपुर के सम्पूर्ण हिस्से के खातेदार काश्तकार वादीगण के पिता निरोत्तम व ताऊ रामवीर थे। रामवीर का निधन लावल्द बिना जोरू फौत होने पर उनका समस्त रकबा वादीगण के पिता ने प्राप्त किया। उक्त विवादित आराजी में से 1/2 भाग वादीगण के पिता ने प्रतिवादी संख्या 1 सिताबसिंह को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 7.7.1976 द्वारा विक्रय कर दिया। मुताबिक बयनामा के प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में नामांतरण संख्या 161 द्वारा 1/2 भाग पर विवादित आराजी पर दर्ज हुआ शेष 1/2 भाग पर वादीगण के पिता के नाम इन्द्राज थी। जमाबंदी सम्वत 2036-2039 में विवादग्रस्त आराजी पर 1/2 भाग वादीगण के पिता तथा 1/2 भाग पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम इन्द्राज हुए लेकिन जमाबंदी सम्वत 2042-2045 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सम्पूर्ण हिस्से पर अंकन कर दिया। वादीगण के पिता के देहान्त के उपरान्त वादीगण मौके पर विवादित आराजी के 1/2 भाग पर काबिज होकर काश्त करते रहे एवं शिवराम के निधन के उपरान्त उसके विधिक वारिसान शिवराम के हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। सरसों की फसल बेचने बाबत पटवारी से गिरदावरी लेते समय वादीगण को उक्त गलत इन्द्राज का पता चला। सिताबसिंह ने अपने हिस्से 1/2 भाग को जरिये दानपत्र रामभूति पुत्री जगन्नाथ पत्नी विशम्भर

अज अदालत

किस्म मुकदमा सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	भोग ठाकुर निवासी चौधरी का पुरा जिला गौलपुर को दान कर दिया। वादीगण के नाम कोई इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में नहीं है। राजस्व रिकार्ड के विवादित आराजी पर 1/2 भाग पर सिताबरसिंह व 1/2 भाग पर रामपूर्ति के नाम दर्ज है। सिताबरसिंह कोई ने अपना 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दान कर दिया इसका विवादित आराजी पर कोई हिस्सा शेष नहीं है। वादीगण ने जब अप्रार्थी संख्या 1 से राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कराने को कहा तो उन्हे इन्कार किया कि वह कोर्ट से दुरुस्त करा लें। इसलिए विवादित आराजी पर हो रहे गलत इन्द्राजात को दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड के 1/2 भाग पर वादीगण का अंकन किया जावे एवं 1/2 भाग पर राजस्व रिकार्ड के सिताबरसिंह के नाम गलत 1/2 भाग के इन्द्राज को कलमजद किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 3 से रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 3 (तहसीलदार मानियां) द्वारा रिपोर्ट पेश की गई कि आराजी खसरा नम्बर 1733 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम गढ़ायला	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	परवेश मण्डल चितौपुरा पर नामान्तकरण संख्या 161 से निरोत्तम पुत्र जसवन्त जाति ठाकुर निवासी चौधरी का पुरा के बजाय सितावरसिंह पुत्र जगन्नाथ जाति ठाकुर निवासी चौधरी का पुरा हिस्सा 1/2 दर्ज है) एवं जमाबंदी सम्वत 2037-40 के सितावरसिंह पुत्र जगन्नाथ जाति ठाकुर हि 1/2 दर्ज किया है) एवं जमाबंदी सम्वत 2042-45 के सितावरसिंह पुत्र जगन्नाथ हि पूर्ण दर्ज की गया है एवं सितावरसिंह पुत्र जगन्नाथ हि० 1/2 व निरोत्तम पुत्र जसवंत जाति ठाकुर हि० 1/2 सा० चौधरी का पुरा शुद्ध किये जाने की अभिशंसा की है) पत्रावली का अवलोकन किया, बहस प्रार्थी को मनन किया) विवादित आराजी खसरा नम्बर 1733 रकबा उवीघा 7 विस्वा बाके ग्राम पंचायत चितौपुरा पर निरोत्तम पुत्र जसवंत जाति ठाकुर खातेदार के, नामांतकरण संख्या 161 दिनांक 13.2.83 बाके ग्राम पंचायत तहसील व जिला धौलपुर के अवलोकन से ज्ञात होता है कि निरोत्तम ने सितावरसिंह को विवादित आराजी मे 1/2 भाग का बेचान किया जमाबंदी सम्वत 2036-39 मे भी सितावरसिंह को 1/2 भाग का खातेदार होना सिद्ध होता है) जमाबंदी सम्वत 2042-2045 के सितावरसिंह का हिस्सा पूर्ण कर दिया है) एवं निरोत्तम पुत्र जसवंत का नाम हटा दिया है) तहसीलदार महोदय ने अपने पत्रांक 18 दिनांक 11.1.2024 व पत्रांक 12.2.24 के द्वारा उक्त त्रुटि को ~~सुधार के~~ दुरूस्त किये जाने की अभिशंसा की है उपरोक्त अभिवचनों से प्रार्थी के कथनों का सही होना सिद्ध होता है) हम	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तहसीलदार मनिया को आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1733 रकबा स्वीया 7 बिस्वा वाके ग्राम गडरान्या पटवार मण्डल विलौनुपुरा तहसील मनिया जिला धौलपुर पर हो रहे शामलात इन्द्राजो को दुरुस्त करते हुये 1/2 भाग पर हो रहे सिलकराज सिंह पुत्र जगन्नाथ जाति ठाकुर के इन्द्राजो को कलमजद करते हुये प्रार्थीगण के नामो का अंकन शामलात रिकार्ड मे 1/2 भाग पर किया जावे। तहसीलदार मनिया को पालनार्थ हेतु पत्र जारी हो। पत्रावली फैसल शुदा होकर बाद तकमील हस्ब जाब्ता शामिल दफ्तर हो।	
	[signature] उपखण्ड अधिकारी धौलपुर (राज.)	